

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) प्रथम / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़।

उपस्थित: श्रीमति तन्वी सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा-UP 3468)

CNR No.-UPHP040210682022



रजि० सं०-1024/2022

कीर्ति बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-921/2021

अ०धारा-420 भा०दं०सं० व 66 डी. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम  
थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़।

दिनांक-03.09.2025

04:00 पी० एम ०

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा परिवादी को नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। परिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर दिया गया, परन्तु परिवादी उपस्थित नहीं आया, जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी उक्त वाद पर कोई बल नहीं देना चाहता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। अंतिम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने में कोई अनियमितता नहीं पायी जाती है। अतः न्यायहित में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमति तन्वी सिंह)

अपर सिविल जज (जू०डि०) प्रथम /  
न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़।